COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES बीस रुपये

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 / /निगरानी

घीसीबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नी मदनलाल जाति कोली निवासी ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

.................निगरानीकर्ता

बनाम

नैनगा (फोत) वारिसान

1—रामचरण पुत्र नैनगा

2—ओमप्रकाश पुत्र नैनगा

3—हुकम पुत्र नैनगा

4—मु.भूलीबाई पत्नी नैनगा सभी जातियान कोली निवासीगण ग्राम रायपुरा तह0 व जिला श्योपुर म.प्र.

5—ब्रजेश पुत्र रामचरन जाति जाट निवासी ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 263/17—18/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 23.11.2017 के विरूद्व

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

प्रकरण का संक्षिप्त में सार

निगरानी के पिता बजरंगलाल ग्राम रायपुरा के निवासी थे तथा ग्राम रायपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 92 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के भूमिस्वामी थे तथा राजस्व अभिलेख में बजरंगलाल पुत्र भोलाराम जाति कोली निवासी रायपुरा के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। बजरंगलाल आज से करीबन 16—17 वर्ष पूर्व फोत हो चुके है तथा अपीलांट द्वारा अपने जीवनकाल में ही नैनकाराम पुत्र ग्यारसा के हित में एक वसीयतनामा दिनांक 22.07.87को कराया था किन्तु नैनकाराम द्वारा उनकी सेवा व देखभाल नहीं की तो बजरंगलाल द्वारा असंतुष्ट हो कर उक्त वसीयतनामा समक्ष रजिस्ट्रार महोदय के दिनांक 2.11.1995 को निरस्त करवादिया था किन्तु नैनकाराम द्वारा ग्राम के सरपंच एवं मौजा पटवारी से सांठगांठ करके वसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत से

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2018/0171

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
03.08.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 263/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका के पिता बजरंग लाल ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर के में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 92 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा के भूमि स्वामी थे तथा राजस्व अभिलेख में बजरंग लाल पुत्र भोलाराम जाति कोली निवासी रायपुरा के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। बजरंग लाल आज से करीबन 16–17 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है तथा अपीलांट द्वारा अपने जीवनकाल में ही नैनकाराम पुत्र ग्यारसा के हित में एक वसीयतनामा दिनांक 22.7.87 को कराया था किन्तु नैनकाराम द्वारा उनकी सेवा व देखभाल नहीं की तो बजरंग लाल द्वारा असंतुष्ट होकर रजिस्टार के न्यायालय में दिनांक 2.11.95 वसीयतनामा निरस्त करा दिया गया। उसके बाद भी बसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत दिनांक 4.2.99 को नामांतरण करवा लिया, इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के	

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 13.10.17 को धारा–5 के आवेदन पर अपील निरस्त की गई जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 23.11.17 को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.17 में अंतिम पैरा में निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा द्वैषपूर्वक एवं जानकारी होते हुये भी 18 वर्ष के बाद विलंब से अपील प्रस्तुत की गई थी, आवेदक अधिवक्ता का यह कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसे आदेश का पता नहीं चला, क्यों कि ग्राम रायपुरा में विवादित भूमि स्थित है तथा उसी ग्राम का आवेदक निवासी है, इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं है कि आदेश की जानकारी नहीं हुई। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा धारा–5 का आवेदन संतोषजनक नहीं माना है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है,

इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 263/अपील/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 23.11.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य